N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0263 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 14/11/2024 18:46 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 12/11/2024 **Date To (दिनांक तक):** 13/11/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 14:48 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 14/11/2024 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 14/11/2024 18:46:54 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 09 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** UJJWAL VIKRAM BSTC COLLAGE, BOMADARA ROAD PALI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MAHIPAL

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MALARAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1996 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM KHEJDALA, BILARA, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM KHEJDALA, BILARA, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	GUNESH RAWAL		पिता:VARDA RAWAL	1. GRAM UTVAN,BOMADARA ROAD,PALI,RAJASTHAN,INDIA
2	VIJAY		पिता:NATWARLAL	1. 24,PANI DARWAJA,PALI,RAJASTHAN,IN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान् एडिशनल एसपी साहब, ए0सी0बी0 पाली द्वितीय। विषयः-रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत्। महोदयजी, उपरोक्त विषयान्तर्गत मन् महिपाल पुत्र श्री मलाराम जाति जाट उम्र 28 वर्ष पेशा पढाई निवासी खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर का निवेदन इस प्रकार है कि मैं उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज बोमादडा रोड पाली में एसटीसी प्रथम वर्ष का छात्र हूं। सत्र 2023-24 में मैनें उक्त कॉलेज में बीएसटीसी प्रथम वर्ष के लिये एडमिशन लिया हुआ है। जनवरी 2024 से लगातार बीएसटीसी की क्लासे लग रही है। मैनें सत्र 2023-24 में प्रत्येक कक्षा में भाग लिया था परन्तु फरवरी मार्च में मेरी माताजी की तबीयत ठीक नही होने से कुछ कक्षाओ में उपस्थित नही हो सका था। उसके पश्चात अप्रेल 2024 से हर माह बीएसटीसी के प्रथम व द्वितीय परख में उपस्थित रहा तथा कॉलेज की हर नियमित कक्षाओ में भी मेरी उपस्थिति रही है। परन्तु माह फरवरी मार्च की कुछ कक्षाओ मे उपस्थित नही होने के कारण कॉलेज के निदेशक श्री गणेश रावल व प्रिन्सीपल मेरे प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र जमा नही कर रहे है तथा सत्र में अच्छे नम्बर नही भेजने व फेल करने की धमकिया दे रहै है। आज से कुछ दिन पहले मैं श्री गणेश रावल से मिला तो उन्होने मुझे कहा कि तुम्हारी हाजरीयां कम है। अगर तुम हाजरीयां पूरी करवाना चाहते हो तो बारह हजार रूपये देने पडेगें, मैं प्रिन्सीपल से बोलकर हाजरी पूरी करवा दूंगा अन्यथा तुम्हारा प्रथम वर्ष खराब हो जायेगा। मैं मेरे जायज कार्य के लिऐ उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज बोमादडा रोड पाली के निदेशक श्री गणेश रावल को रिष्वत नहीं देना चाहता हूँ। उन्हे रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरे एवं श्री गणेश रावल कॉलेज निदेशक के आपस में कोई लेन-देन बकाया नहीं है न हीं कोई आपसी रंजिश है। अतः मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करावें। दिनांक -12-11-2024 प्रार्थी एस.डी. महिपाल मो0[redacted] कार्यवाही पुलिस दिनांक 12-11-2024 समय 12-30 पी0एम0 इस समय परिवादी श्री महिपाल पुत्र श्री मलाराम जाति जाट उम्र 28 वर्ष पेशा पढाई निवासी खेजडला तहसील बिलाडा जिला जोधपुर ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज बोमादडा रोड पाली में एसटीसी प्रथम वर्ष का छात्र हूं। सत्र 2023-24 में मैनें उक्त कॉलेज में बीएसटीसी प्रथम वर्ष के लिये एडमिशन लिया हुआ है। जनवरी 2024 से लगातार बीएसटीसी की क्लासे लग रही है। मैनें सत्र 2024 में प्रत्येक कक्षा में भाग लिया था परन्तु फरवरी मार्च में मेरी माताजी की तबीयत ठीक नही होने से कुछ कक्षाओ में उपस्थित नही हो सका था। उसके पश्चात अप्रेल 2024 से हर माह बीएसटीसी के प्रथम व द्वितीय परख में उपस्थित रहा तथा कॉलेज की हर नियमित कक्षाओ में भी मेरी उपस्थिति रही है। परन्तु फरवरी मार्च की कुछ कक्षाओ मे उपस्थित नही होने के कारण कॉलेज के निदेशक श्री गणेश रावल व प्रिन्सीपल मेरे प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र जमा नही कर रहे है तथा सत्र में अच्छे नम्बर नही भेजने व फेल करने की धमकिया दे रहै है। आज से कुछ दिन पहले मैं श्री गणेश रावल से मिला तो उन्होने मुझे कहा कि तुम्हारी हाजरीयां कम है। अगर तुम हाजरीयां पूरी करवाना चाहते हो तो बारह हजार रूपये देने पडेगें, मैं प्रिन्सीपल से बोलकर हाजरी पूरी करवा दूंगा अन्यथा तुम्हारा प्रथम वर्ष खराब हो जायेगा। मैं मेरी हाजरी पूरी करवाने एवं अच्छे नम्बर दिलवाने के नाम पर उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज बोमादडा रोड पाली के निदेशक श्री गणेश रावल को नहीं देना चाहता हूँ। उन्हे रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मेरे एवं श्री गणेश रावल कॉलेज निदेशक के आपस में कोई लेन-देन बकाया नहीं है न हीं कोई आपसी रंजिष है एवं न ही मेरी कोई फीस बकाया है। अतः मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करावें। परिवादी श्री महिपाल ने रिपोर्ट पर अपने स्वयं के हस्तलेखनी मे होकर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा रिपोर्ट में लिखे समस्त तथ्य सही होना बताया। परिवादी श्री महिपाल ने यह भी बताया कि श्री गणेश रावल उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज बोमादडा रोड पाली के निदेशक है। हर वर्ष बीसएसटीसी के दौरान कई महीने कॉलेज के सेशन बंद रखते है जिससे छात्रो की हाजरी कम हो जाये तथा हाजरी कम होने के बहाने छात्रो को मुख्य परीक्षा से वंचित रखने व अच्छे नम्बर आगे भेजने की ऐवज में मेहनताना के रूप रिश्वत की मांग करते है। जब छात्र रिश्वत के पैसे देने को तैयार हो जाते है तो उनकी कम हाजरी की पूर्ति का रेकार्ड तैयार कर देते है तथा अच्छे नम्बर भी आगे भेज देते है। कॉलेज प्रिन्सीपल भी वही करते है जो श्री गणेश रावल निदेशक कहते है। श्री गणेश रावल प्रत्येक कार्यदिवस पर अपने ऑफीस में आते है तथा छात्रो को हाजरी कम का बोलकर रिष्वत की मांग करते है। उक्त कॉलेज पाली-जयपुर हाईवे से कुछ ही दूर बोमादडा रोड पर स्थित है। परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण संषोधन अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वत राशि मांग का गोपनीय

सत्यापन करवाया जाना आवष्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् श्री अवतारसिंह वरिष्ठ सहायक को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर मालखाना से डिजीटल वॉयस रिकार्ड मंगवाकर खाली होना सुनिष्चित कर परिवादी श्री महिपाल से आपस में परस्पर परिचय करवाया एक दूसरे के मोबाईल नम्बर आपस में आदान-प्रदान करवाये गये। तत्पश्चात् कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर वॉयस रिकार्डर चलाने की समझाईस कर श्री अवतारसिंह वरिष्ठ सहायक को सुपूर्द कर हिदायत दी कि परिवादी महिपाल के साथ उज्जवल विक्रम, बीएसटीसी कॉलेज बोमादडा रोड पाली जाकर श्री गणेश रावल कॉलेज निदेशक से सम्पर्क कर रिष्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन कराकर लावे। इत्यादी हिदायत देकर परिवादी श्री महिपाल व श्री अवतारसिंह वरिष्ठ सहायक को उज्जवल विक्रम, बीएसटीसी कॉलेज बोमादडा रोड पाली के लिऐ रवाना किया गया। वक्त 04.30 पी0एम0 पर रिष्वती राशि मांग सत्यापन में गये हुये श्री अवतारसिंह वरिष्ठ सहायक हमरा परिवादी श्री महिपाल के ब्यूरो कार्यालय में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आये। श्री अवतारसिंह वरिष्ठ सहायक ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया एवं हमराह आये परिवादी श्री महिपाल ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्रीमान के निर्देषानुसार आज दिनांक 12-11-2024 को ब्यूरो कार्यालय से मैं एवं श्री अवतारसिंह रवाना होकर करीबन 02-30 पी0एम0 पर उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज बोमादडा रोड पाली के पास पहुंचा। जहां मैनें अपने स्तर पर निदेशक श्री गणेश रावल की उपस्थिति के बारे में पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि श्री गणेश रावल कॉलेज में अपने कक्ष में ही है। जिस पर श्री अवतारसिंह ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर मुझे सुपुर्द कर गणेश रावल निदेशक से रिश्वत राशि मांग सम्बंधी वार्तालाप करने हेतु उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज केम्पस के अन्दर रवाना किया तथा श्री अवतारसिंह वरिष्ठ सहायक कॉलेज के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ खड़े रहे। मैं कॉलेज केम्पस के अन्दर श्री गणेश रावल निदेशक के कक्ष में गया तो वहां मुझे श्री गणेश रावल उपस्थित मिले तथा एक महिला व कुछ अन्य स्टॉफ व छात्र भी कक्ष में ही मौजूद थे। काफी देर तक दूसरे छात्रो से बातचीत होने व निदेशक महोदय अपने कार्य में व्यस्त होने से मैनें उनसे बातचीत नही की। तत्पश्चात कुछ समय बाद मैनें श्री गणेश रावल निदेशक महोदय को मेरे मुख्य परीक्षा के आवेदन फार्म के बारे में बातचीत की तो उन्होनें मुझे जनवरी, फरवरी व मार्च में मेरी हाजरी कम होने का तकाजा किया तथा साथ ही बीकानेर निदेषालय के अनुसार दौ सौ हाजरी पूरी होने के बारे में बताया तो मैनें उन्हें कहा कि जुलाई के बाद आपने स्वंय कॉलेज का सेशन शुरू ही नही किया जिस पर उन्होनें कहा कि जो छात्र हमारे कहे अनुसार एग्री (सहमत) है तो उनकी हाजिरी पूरी करके रिकार्ड बना रहे है। पन्द्रह तारीख फार्म की लास्ट है तथा रिकार्ड बनाना पडेगा। इक्कीस तारीख से परीक्षा शुरू हो रही है। तब मैनें कहा कि मेरी हाजरी हो जायेगी तो उन्होने कहा कि तेरा रिकार्ड तैयार कर देगे तथा तुझे परीक्षा से वंचित नही रखेगें तथा जो मेहनाताना लगेगा वो देना पडेगा। मैनें सभी बच्चो से लिया है अकेले कोई तेरे से ही नही ले रहा हूं। तत्पश्चात तत्पश्चात मुझे बोला कि तेरा फार्म जमा कर लेगें तथा मुझसे ग्यारह हजार रूपये देने का बोला तथा कहा कि अगर ग्यारह हजार दे देगा तो तेरा रिकार्ड तैयार कर देगें अथवा हाजरी पूरी कर देगें। मुझे बार-बार हाजरी पूरी करने के ग्यारह हजार की मांग की तथा मेरे आगे अच्छे नम्बर भेजने की जिम्मेदारी भी ली। मुझे दूसरे छात्रो द्वारा ऑनलाईन व नगद रूपयो का हिसाब भी दिखाने लगें। मेरे द्वारा विनती करने के बाद श्री गणेष रावल निदेशक दस हजार रूपये लेने हेतु सहमत हुऐ। उक्त रिश्वत राशि कल दिनांक 13-11-2024 को सुबह लाकर कार्यालय में मौजूद विजय सर को देने के लिऐ कहा है। विजय सर वही मौजूद थे, उन्होनें गणेश रावल की उपस्थिति में कहा कि तुम पैसे मुझे लाकर दे देना। उक्त सम्पूर्ण वार्ता ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। तत्पष्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर लेपटॉप के माध्यम से सुना तो परिवादी श्री महिपाल के कथनो की ताईद होते हुए रिश्वत राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं की अभिरक्षा में रखा गया। आईन्दा रिकॉर्डिंग वार्ता की रूबरू गवाहान व परिवादी के फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब होगी। चूंकि रिष्वती राशि आदान-प्रदान कल किया जाना प्रस्तावित होने से अब तक हुई कार्यवाही बाबत् उच्चाधिकारीयो से निवेदन कर दिनांक 13-11-2024 को आरोपी निदेशक उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज बोमादडा रोड पाली के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही आयोजन का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री महिपाल को हिदायत दी कि आरोपी गणेष रावल निदेशक उज्जवल विक्रम, बीएसटीसी कॉलेज द्वारा रिष्वत में मांगी गई राशि दस हजार रूपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 13-11-2024 को वक्त 10-00 ए0एम0 पर ब्यूरो कार्यालय पाली द्वितीय उपस्थित आवें। इत्यादि हिदायत देकर परिवादी श्री महिपाल को रूखस्त किया गया। तत्पश्चात् ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान की आवष्कता होने से तहसीलदार पाली को जरिये मोबाईल निर्देशित किया गया कि कल दिनांक 13-11-2024 को प्रातः 10-00 ए.एम. पर दो स्वतंत्र गवाहान को ब्यूरो कार्यालय पाली द्वितीय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करे। गवाहान तलबी की तहरीर पृथक से प्रेषित की जायेगी। साथ ही ब्यूरो जाब्ता को प्रातः 09-30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने बाबत् पांबद किया गया। दिनांक 13-11-2024 वक्त 11-30 ए.एम. पर पांबदशुदा परिवादी श्री महिपाल एवं स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री मान सिंह कनिष्ठ सहायक व श्री आकिब जावेद कनिष्ठ सहायक ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। उपस्थित गवाहन का मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम मान सिंह पुत्र श्री अमर सिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 25 वर्ष निवासी इन्द्रप्रस्थ नगर नान्दडी जोधपुर पुलिस

थाना बनाड़, जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसीलदार पाली मोबाईल। नम्बर [redacted] व आकिब जावेद पुत्र श्री जाकिर हुसैन जाति घोसी उम्र 25 वर्ष निवासी मकान नम्बर 42 घोसावाडा पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय तहसीलदार पाली मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया। उपस्थित गवाहन को यहा आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुऐ कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री महिपाल एवं गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पढकर सुनाया गया एवं पढाया गया तथा रिष्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य अंश को लेपटॉप के माध्यम से सुनाया गया। दोनों गवाहान ने भी परिवादी से विस्तृत पुछताछ कर तसल्ली कर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति प्रदान की। तत्पश्चात् डिजीटल वॉयस रिकार्डर में से मांग सत्यापन वार्ता रिकार्डशुदा मेमोरी कार्ड निकालकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे में कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री महिपाल से आरोपी श्री गणेश रावल निदेशक एवं सह आरोपी श्री विजय को रिष्वत में दी जाने वाली राशि 10,000 रूपये पेश करने हेतु कहा गया तो उसने अपनी जेब में से पांच सौ-पांच सौ रूपये के बीस नोट कुल 10,000 रूपये पेश किये। जिस पर परिवादी श्री महिपाल व गवाहान के रूबरू फर्द पेशकशी एवं सुपुदर्गी नोट एवं सोडियम कार्बोनेट व फिनोफथलीन पाउडर की क्रिया प्रतिक्रिया श्री सतपाल कानिस्टेबल नं0 294 से प्रदर्षित करवाई जाकर फर्द मुर्तिब की गई जिसका विस्तृत विवरण फर्द में अंकित कर फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् वक्त 01-50 पी0एम0 पर ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र गवाहन श्री आकिब जावेद, ब्यूरो स्टॉफ श्री लक्ष्मणदान एएसआई, श्री कुलदीप सिंह कानि0, श्रीमति कौशल्या महिला कानि. मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, विडीयो कैमरा मय नये मेमोरी कार्ड, वॉयस रिकार्डर मय नये मेमोरी कार्ड एवं ट्रेप रिकार्डर सहित मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन से एवंम श्री गोविन्द वर्मा एएसआई, श्री मोहनलाल हैड कानि0, श्री भवानी सिंह हैड कानि0 मय निजी वाहन एवं श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक, श्री पूनाराम कानि, परिवादी श्री महिपाल व स्वतंत्र गवाह श्री मान सिंह मय निजी वाहन एवं ब्यूरो कानि. श्री सोहनलाल मय सरकारी वाहन बोलेरो से भ्रनिब्यूरो कार्यालय पाली द्वितीय से उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज बोमादड़ा रोड़ पाली की तरफ रवाना हुए। श्री सतपाल कानि0 को कार्यालय की निगरानी हेतु कार्यालय पर ही छोडा गया। फिगरा उपरोक्त के रवाना शुदा उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज बोमादडा रोड पाली से थोडी दूर पहले उपरोक्त फिगरा के समस्त वाहनो को रूकवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय नया मेमोरी कार्ड श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक को सुपुर्द कर निर्देशित किया कि कॉलेज परिसर में प्रवेश होने से पूर्व परिवादी श्री महिपाल को रिकार्डर चालू कर लेन-देन वार्ता रिकार्ड करवाने के लिये सुपर्दु करे तथा स्वतंत्र गवाह श्री मान सिंह को कॉलेज परिसर के आस-पास ही लेन-देन ईशारे के इंतजार में मुकिम करे तथा अवतार सिंह व पूनाराम को परिवादी के साथ ही कॉलेज परिसर के अन्दर जाने एवं रिश्वत राशि लेन-देन देखने एवं परिवादी का ईशारा मिलते ही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को गोपनीय ईशारे की सूचना करने हेतु निर्देशित कर कॉलेज की तरफ रवाना किया गया। अन्य वाहनो में बैठे ट्रेप दल के सदस्यो को भी कॉलेज परिसर के बाहर ही ईशारे के इंतजार में मुकिम रहने हेतु निर्देशित किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी परिवादी के गोपनीय ईशारे के इंतजार में कॉलेज परिसर के बाहर ही मुकिम हुआ। तत्पश्चात् रूबरू मौतबीरान समय 02-46 पीएम पर रिश्वत राशि आदान-प्रदान होने के पश्चात् पूर्व निर्धारित ईशारा ब्यूरो कर्मी श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक को मिलने पर श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक ने वक्त् 02-48 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को फोन कर रिश्वत राशि आदान प्रदान की सूचना दी। जिस पर बाहर ही ईशारे के इंतजार में मुकीम मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व हमरा श्री लक्ष्मणदान एएसआई, स्वंतत्र गवाह श्री आकिब जावेद कनिष्ठ सहायक, ब्यूरो कर्मी श्री कुलदीप कानि. एवं श्रीमति कौशल्या महिला कानिस्टेबल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निजी वाहन से उज्जवल विक्रम कॉलेज के मुख्य गेट पर पहुंचे तथा मुख्य गेट के बाहर रिश्वत राशि लेन-देन की कारवाई पर नजर रखे हुए ईशारे के इंतजार में अन्य गवाह श्री मान सिंह भी उपस्थित मिला, साथ ही अन्य ब्यूरो टीम के सदस्य जो कि अन्य प्राईवेट वाहन में ईशारे के इंतजार में मुकीम थे, जो भी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की सूचना पर मुख्य गेट पर उपस्थित आये। उक्त सभी को क्रमवार हमरा लेकर कॉलेज परिसर के कार्यालय की तरफ रवाना होकर कार्यालय परिसर में पहुंचा तो कॉलेज के कार्यालय परिसर के बरामदे के बाहर ही परिवादी श्री महिपाल व ब्यूरो कार्मिक श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक एवं पूनाराम कानि. उपस्थित मिले, परिवादी श्री महिपाल को पूर्व में दिया गया कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे में रखा। प्रिन्सीपल कार्यालय कक्ष के बाहर बरामदे में आठ-दस छात्र छात्राएं बैठै हुए तथा एक महिला बरामदे में खडी मिली तथा बरामदे से लगते प्रिन्सीपल कार्यालय कक्ष के गेट पर एक व्यक्ति जिन्स पेन्ट व फुल बाजू टीशर्ट पहने हुए खडा हुआ एवं दो अन्य व्यक्ति कार्यालय कक्ष के अन्दर अलग-अलग कुर्सीयो पर बैठै हुए पाये गये। तत्पश्चात् उक्त प्रिन्सीपल के कार्यालय कक्ष में उपस्थित सभी को यथा स्थान बैठे रहने की हिदायत कर उक्त कक्ष की निगरानी हेतु श्री गोविन्द वर्मा एएसआई व श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक व दोनो स्वतंत्र गवाहान को मुकर्रर कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रिन्सीपल कार्यालय कक्ष के पास ही स्थित प्रबन्धक संचालक के कार्यालय कक्ष में ब्यूरो स्टॉफ श्री पूनाराम कानि0 व श्रीमति कौशल्या कानि0 को हमरा लेकर आया तथा कार्यालय कक्ष में उपस्थित श्री गुणेश

रावल को निगरानी हेतु श्री पूनाराम व श्रीमति कौशल्या को हिदायत कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुनः प्रिन्सीपल कार्यालय कक्ष में गया तो एक व्यक्ति की तरफ परिवादी श्री महिपाल ने ईशारा कर बताया कि यह विजय है जिन्होने अभी-अभी मेरे से पूर्व में कल दिनांक 12-11-2024 को मांग सत्यापन के दौरान श्री गुणेश रावल द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि श्री विजय को देने के लिये कहा था, जो श्री विजय ने आज अभी अभी मेरे से प्राप्त कर गिनकर अपने पहनी हुई जिन्स पेंट की पीछे की बांयी जेब में रखे है। तत्पश्चात् श्री विजय के दोनो हाथो को कलाई के उपर से सुरक्षा की दृष्टि से हमरा स्टॉफ श्री गोविन्द वर्मा एएसआई व श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक से पकडवाया गया। तत्पश्चात् हमरा लाये गये कार्यालय हाजा का विडीयो रिकार्डर जिसमें नया मेमोरी कार्ड डालकर आगे की कार्यवाही विडियो रिकार्डिग विधि प्रावधानो के अनुसार करवाया जाकर आवश्यक होने से विडियो रिकार्डर चालू करवाकर हमरा कानिस्टेबल श्री कुलदीप सिंह को सुपुर्द कर विडीयो रिकार्डिग करना शुरू किया गया। तत्पश्चात् उक्त व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमरायान का परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत करवाते हुए उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम विजय पुत्र श्री नटवरलाल जाति जोशी उम्र 40 वर्ष निवासी मकान नं0 24, पानी दरवाजा पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली हाल व्याख्याता (भाषा संज्ञान व समाज) उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज बोमादडा रोड पाली होना बताया। तत्पश्चात् श्री विजय को परिवादी श्री महिपाल से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसने बताया कि अभी-अभी श्री महिपाल से मैनें दस हजार रूपये प्राप्त किये है जो मेरी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पीछे की बांयी जेब में रखे है। इस पर श्री विजय को उक्त राशि किस लिए एवं किसके लिए प्राप्त की गई के बारे में पूछा गया तो बताया कि यह रूपये श्री महिपाल जो कि हमारे उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज का प्रथम वर्ष का छात्र है जिसकी हाजरी पूरी नही होने के कारण हाजरी पूरी करने की ऐवज में कॉलेज मालिक श्री गुणेश रावल के कहेनुसार लिये है तथा इसकी कोई रसीद वगैरा नही होती। श्री महिपाल के कॉलेज फीस व बस फीस एवंम अन्य किसी प्रकार की कोई फीस बकाया नही है। मैं इस कॉलेज में व्याख्याता के साथ-साथ केशियर का काम भी करता हूं। श्री महिपाल कल दिनांक 12-11-2024 को हमारे कॉलेज में आया था, तब हमारे कॉलेज के प्रबन्धक कार्यालय कक्ष में बैठे श्री गुणेश रावल से मिला था, उस समय मैं भी प्रबन्धक कार्यालय कक्ष में ही बैठा था। उस समय महिपाल व श्री गुणेशजी की आपस में महिपाल की हाजरी पूरी करने की ऐवज में रिश्वत मांग की बातचीत हुई थी। मैनें आज महिपाल से ये दस हजार रूपये श्री गुणेश रावल के कहने पर ही लिये है। श्री विजय के बांये हाथ की हथेली पर बॉलपेन से महिपाल/मल्लाराम लिखा हुआ मिला जिसके संबंध मे पूछने पर बताया कि मैने स्वयं अपने पैन से लिखा है। तत्पश्चात् हमरा गवाह श्री मान सिंह कनिष्ठ सहायक से सह आरोपी श्री विजय के जिन्स पेन्ट के पीछे की जेब की तलाशी लिवाई तो उक्त जेब में पांच-पांच सौ रूपये के नोटो का बंडल पाया गया, उक्त नोट गवाह श्री मान सिंह के पास ही रहने दिये जाकर श्री मान सिंह से ही गिनवाये तो कुल दस हजार रूपये होना पाया गया। तत्पश्चात् उक्त नोटो के नम्बरो का पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी अन्य स्वतंत्र गवाह श्री आकिब जावेद को देकर मिलान करवाया गया तो नोटो का नम्बर हुबहु पाये गये। तत्पश्चात् रिश्वत राशि के उक्त नोटो को गवाह श्री मान सिंह के पास ही सुरक्षित रहने दिये गये। सह आरोपी श्री विजय द्वारा परिवादी श्री महिपाल से रिश्वत राशि प्राप्त कर गिनकर अपने पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पीछे की बांयी जेब में रखी, इस कारण सह आरोपी श्री विजय के हाथो के धोवन की कार्यवाही कर धोवन लिया जाना आवश्यक होने से हमरा वाहन में से ट्रेप बॉक्स एवं लेपटॉप, प्रीन्टर अन्य आवश्यक सामग्री मंगवाये गये। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में अलग-अलग प्लास्टिक के डिस्पोजल दो गिलास निकलवाकर दोनो गिलासो में प्रिन्सीपल कार्यालय कक्ष में लगे वॉटरकूलर में से पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर दोनो गिलासो में भरा गया तथा ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकाल कर दोनो गिलासो में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया, तैयारशुदा उक्त घोल को स्वतंत्र गवाहान एवंम संबधितान को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त तैयारशुदा घोल की एक गिलास में सह आरोपी श्री विजय के दाहिनी हाथ की अंगलियो व अंगुठा व दुसरे गिलास में बांये हाथ की अंगुलियां व अगुंठा धुलवाया गया तो अलग-अलग दोनो गिलासो का रंग गुलाबी हो गया जिसे संबधितो ने भी गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त दोनो गिलासो के घोल को अलग-अलग चार कांच की शीशीयो में डालकर शिल्ड चिट किया गया तथा चिट पर मार्क क्रमशः आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2 अंकित कर चिटों पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् सह आरोपी श्री विजय के पहनने के लिये लोअर की व्यवस्था कर जिन्स पेन्ट को उतरवाकर लोअर पहनाया व जिन्स पेन्ट की पीछे की बांयी जेब की धुलाई हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक नया प्लास्टिक का डिस्पोजल गिलास निकाल कर गिलास में पीने का साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया। उक्त तैयारशुदा घोल संबधित को दिखाया गया तो संबधित ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त रंगहीन घोल में सह आरोपी श्री विजय की उक्त जिन्स पेन्ट के पीछे की बांयी जेब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई, उक्त जेब को उलटवाकर गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। उक्त घोल को कांच की अलग-अलग दो शीशीयो में शिल्ड चिट किया गया, चिट पर मार्क पी-1, पी-2 अंकित कर चिट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् सह आरोपी श्री विजय के पहनी हुई जिन्स पेन्ट के अन्दर की तरफ संबधित के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक कपडे की थैली में शिल्ड कर कपडे की थैली पर विवरण अंकित कर संबधितान के हस्ताक्षर

करवाकर मार्क-पी अकिंत कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् सह आरोपी श्री विजय के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की पीछे की बांयी जेब में मिली रिश्वत राशि के नोट सुरक्षा की दृष्टि से गवाह श्री मान सिंह के पास रखवाये गये थे, जो निकलवाकर पुनः फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो नोटो के नम्बर हुबहु पाये गये जो नोटो के नम्बर निम्नानुसार हैः- 1 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 सी वी 230754 (2) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9 ई आर 083714 (3) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 आर क्यू 236264 (4) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 ई डी 065681 (5) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 एच वी 339160 (6) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 ई ए 919118 (7) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 एच टी 304410 (8) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 पी एन 303853 (9) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 एच डी 799562 (10) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 एन एच 907982 (11) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 टी डी 409742 (12) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 डब्ल्यू डी 683276 (13) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9 एसडी 062798 (14) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 यू एफ 587417 (15) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 एम डी 034554 (16) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 एन डब्ल्यू 150299 (17) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 एफ बी 329816 (18) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी1 वी एच 360508 (19) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 एम एन 120190 (20) एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 डी ई 527949 उक्त रिश्वत राशि के नोटों को कपडे़ की एक थैली में सील्ड कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सह आरोपी श्री विजय से महिपाल के हाजरी के बारे में पूछा तो बताया कि आज छात्र महिपाल ने परीक्षा फार्म दिया है, जो प्रिन्सीपल श्री भूपेन्द्र के पास है। तत्पश्चात् इस कक्ष में बैठे प्रिन्सीपल श्री भूपेन्द्र से पूछा तो उन्होने बताया कि महिपाल ने आज ही परीक्षा फार्म जमा करवाया है, जो मेरे पास है। फार्म के साथ ही इसने परीक्षा शुल्क के रूप में 270/- रूपये मुझे दिये है। इस परीक्षा शुल्क की कोई रसीद हमारे कॉलेज द्वारा नही दी जाती है। इस परीक्षा शुल्क की सभी छात्रो की एक साथ ही डीडी बनती है, जो डाईट के माध्यम से पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर को जमा करवायी जाती है। छात्र श्री महिपाल के परीक्षा शुल्क की कोई राशि बकाया नही है। तत्पश्चात् प्रिन्सीपल की टेबल पर रखे दस्तावेजात चैक किये गये तो प्रिन्सीपल की टेबल पर एक सफेद कागज जिस पर उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज कम उपस्थिति वाले विधार्थियों की सूची जिसके क्रम संख्या 04 पर महिपाल का नाम अंकित होना पाया गया तथा कुल बीस विधार्थियों की सूची होना पाया गया। इसी प्रकार दूसरा कागज जिस पर उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज पाली सत्र 2023-24 टेस्ट बाकी है, प्रथम वर्ष प्रथम सत्रीय लिखा होकर दस विधार्थियों की सूची बनी हुई विधार्थियों की सूची के आगे टेस्ट होने की संख्या लिखा होना पाया गया, इसके नीचे द्वितीय सत्रीय परीक्षा के छः विधार्थियों की सूची एवंम इसके नीचे पूर्ववर्ती चार विधार्थियों की सूची इन समस्त विधार्थियों के नाम के आगे टेस्ट बकाया होने की संख्या लिखा होना पाया गया। उक्त दस्तावेजात के दोनो मूल कागज संदिग्ध होने से प्रिन्सीपल श्री भूपेन्द्र के हस्ताक्षर एवमं प्रिन्सीपल की सिलमोहर लगवाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् प्रिन्सीपल श्री भूपेन्द्र को विधार्थियों के बस की फीस जमा होने के संबध में पूछा गया तो श्री भूपेन्द्र ने परिवादी श्री महिपाल की बस की फीस सत्र 2023-24 की सम्पूर्ण राशि 12,000 रूपये जमा होना बताया तथा इस जमा होने से संबधित रजिस्टर दिखाया जिसमें परिवादी महिपाल का नाम क्रम संख्या 55 पर अंकित होना पाया गया तथा बस की राशि दिनांक 30.04.2024 को 4,000 रूपये व दिनांक 05.06.2024 को 8,000 रूपये कॉलेज के खाते में जमा होना पाया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री महिपाल से उक्त राशि जमा करवाये जाने के बारे में पूछा तो बताया कि मैनें बस की राशि फोन-पे के माध्यम से कॉलेज के बैंक खाते में जमा करवाई थी। तत्पश्चात् श्री भूपेन्द्र प्रिन्सीपल से परिवादी श्री महिपाल का परीक्षा आवेदन फार्म, विधार्थियों के बस की फीस जमा होने के रजिस्टर, फीस जमा होने का रजिस्टर व परीक्षा फार्म फीस की प्रमाणित प्रतिया कुल वर्क-13 प्राप्त कर संबधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् प्रिन्सीपल कार्यालय कक्ष के पास ही बने प्रबन्धक संचालक के चेम्बर में उपस्थित कॉलेज प्रबन्धक संचालक श्री गुणेश रावल से पूछताछ करना आवश्यक होने से सह आरोपी श्री विजय को हमरा लेकर प्रबन्धक संचालक के कार्यालय कक्ष में आया तथा उपस्थित प्रबन्धक संचालक को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना एवंम हमरायान का परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर उनका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गुणेश रावल पुत्र श्री वरदा रावल उम्र 46 वर्ष जाति रावल निवासी ग्राम उतवण बोमादडा रोड पाली हाल प्रबन्धक संचालक उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज, उज्जवल विक्रम लॉ कॉलेज एवमं श्रीमति धापू बाई बीएसटीसी कॉलेज पाली होना बताया। तत्पश्चात् सह आरोपी श्री विजय द्वारा परिवादी श्री महिपाल से प्राप्त की गई रिश्वत राशि दस हजार रूपये के बारे में पूछा तो बताया कि बस फीस के रूपये बकाया है वो होगें। इस पर पास ही खडे सह आरोपी श्री विजय को पुछा गया तो उसने बस फिस के रूपये जमा होना बताया तथा बस फिस की कोई राशि बकाया नही होना बताया एवं उक्त 10,000/-रूपये छात्र श्री महिपाल की हाजरी पूरी करने की एवज मे लेना बताया। श्री गुणेश रावल ने परिवादी श्री महिपाल को पहचाना बताया तथा बताया कि महिपाल मेरे कॉलेज का छात्र होने से मै इसको जानता हूं, साथ ही बताया कि कल दिनांक 12.11.2024 को श्री महिपाल मेरे कॉलेज में आया तथा मेरे से मिला था, इस बात की पास ही खडे सह आरोपी ने भी सहमति देते हुए बताया कि श्री महिपाल कल दिनांक 12.11.2024 को हमारे कॉलेज में आया तथा

श्री गुणेश रावल से इनके इसी कार्यालय कक्षमें मिला था, तब मैं भी इसी कार्यालय कक्ष में बैठा हुआ था। तत्पश्चात् परिवादी श्री महिपाल, कॉलेज प्रबन्धक संचालक श्री गुणेश रावल एवंम प्रिन्सीपल श्री भूपेन्द्र व व्याख्याता/केशियर श्री विजय को आमने सामने करवाया गया तथा मांग सत्यापन वार्ता से संबधित मुख्य मुख्य अंश लेपटॉप के माध्यम से सुनाया गया। प्रबन्धक संचालक श्री गुणेश रावल ने बस की फीस के नाम पर महिपाल द्वारा रूपये देना बताया जिसका सह आरोपी श्री विजय व परिवादी श्री महिपाल ने खण्डन किया तथा सह आरोपी श्री विजय ने बताया कि छात्र महिपाल से रूपये मैनें प्रबन्धक संचालक श्री गुणेश रावल के कहेनुसार लिये है। प्रिन्सीपल श्री भूपेन्द्र ने बताया कि हाजरी के नाम पर रूपये नही ले सकते है, न ही कोई डोनेशन ले सकते है तथा फार्म, हाजरी आदि भेजने का काम प्रिन्सीपल का होता है। मैनें छात्र श्री महिपाल से किसी प्रकार की कोई रिश्वत राशि नही मांगी है एवं न ही किसी अन्य को छात्र महिपाल की हाजरी पूरी करने के लिये रिश्वत राशि लेने के लिए कहा है। यदि हाजरी पूरी करने की ऐवज में विजय एवं प्रबन्धक संचालक श्री गुणेश रावल द्वारा कोई रिश्वती राशि मांगी गई है या प्राप्त की गई है तो इसकी मुझे कोई जानकारी नही है। श्री गुणेश रावल की इस कॉलेज कैम्पस मे तीन कॉलेज चलती है तथा छात्र व छात्राओं के हॉस्टल भी है। तीनों कॉलेज के मालिक श्री गुणेश रावल है जो प्रबन्धक संचालक का कार्य देखते है। इस कॉलेज के समस्त स्टाफ को श्री गुणेश रावल ने ही रखा है तथा श्री गुणेश रावल ही हम सभी स्टाफ को तनख्वाह देते है। इस कॉलेज मे किसी स्टाफ की नियुक्ति श्री गुणेश रावल द्वारा ही की जाती है। तत्पश्चात् प्रबन्धक संचालक के कार्यालय कक्ष की टेबल पर रखे दस्तावेजात को चैक किया गया तो उक्त टेबल पर एक सफेद कागज जिसकी हेडिंग में डयू टेस्ट स्टूडेन्ट लिस्ट धापू बाई बीएसटीसी कॉलेज लिखा होकर गयारह छात्रो की सूची होना पाया गया। दुसरा कागज उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज सत्र 2023-24 के टेस्ट बकाया होने से संबधित छात्रो की सूची की फोटोप्रति एवंम रजिस्टर के रफ तीन कागजो पर छात्रो की उपस्थिति कम होने से संबधित विवरण हस्तलिखित कांटछांट किया हुआ पाया गया। तत्पश्चात् उक्त टेबल पर उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज पाली के वर्ष 2023-24 के छात्रो की उपस्थिति पंजिका मिली जिसका अवनलोकन किया गया तो उक्त पंजिका में परिवादी श्री महिपाल का नाम होना पाया गया तथा उक्त पंजिका की प्रमाणित प्रतिया प्रिन्सीपल श्री भूपेन्द्र से प्राप्त कर शामिल कार्यवाही किया गया। प्रबन्धक संचालक के कार्यालय कक्ष में से प्राप्त किये गये दस्तावेजात की कुल वर्क-25 है। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रिश्वत राशि लेन-देन के वक्त की रिकार्ड करवाई गई वार्ता जो कि कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे में है जिसे चालू कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो रेकार्ड वार्ताओ में रिश्वत राशि लेन-देन की वार्ता होना पाया गया तथा लेन-देन वार्ता से सह आरोपी श्री विजय द्वारा परिवादी महिपाल से उसकी हाजिरी पूरी करने की ऐवज में रिश्वत राशि प्राप्त करने में आरोपी श्री गुणेश रावल से मिलीभगत होने के तथ्य स्पष्ट प्रकट होते है। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से एकत्रित साक्ष्यों के विश्लेषण से पाया गया कि परिवादी श्री महिपाल के बीएसटीसी प्रथम वर्ष की हाजरी पूरी करने एवंम परीक्षा फार्म जमा करने व नम्बर दिलवाने की ऐवज में आरोपी श्री गुणेश रावल प्रबन्धक संचालक उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज बोमादडा रोड पाली द्वारा रिश्वत राशि 10,000 रूपये की मांग करना तथा मांग सत्यापन के दौरान रिश्वत राशि सह आरोपी श्री विजय को देने का कहना जिसके अनुसरण में दौराने ट्रेप कार्यवाही सह आरोपी श्री विजय द्वारा रिश्वत राशि के दस हजार रूपये परिवादी श्री महिपाल से प्राप्त किये, जो सह आरोपी श्री विजय के कब्जे से बरामद होना पाया जाने से आरोपीयो का उक्त कृत्य जुर्म अंतर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है, अतः आरोपीगण श्री गुणेश रावल प्रबन्धक संचालक व श्री विजय व्याख्याता/केशियर द्वारा किये गये जुर्म पर पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर पृथक-पृथक फर्द गिरफ्तारियां तैयार कर शामिल कार्यवाही की जायेगी। सह आरोपी श्री विजय के हाथ धोवन की कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग ब्यूरो के विडीयो रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर कानि0 कुलदीप सिंह से करवाई गई। दौराने विडियों रिकॉर्डिंग विडियां रिकॉर्डिर कैमरा मे पूर्व का लगा मैमोरी कार्ड मे समय छः घण्टे के पश्चात् पुनः शुन्य समय से शुरू होने पर उक्त मैमोरी कार्ड को निकाल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे मे सुरक्षित रखा तथा नया मैमोरी कार्ड विडियों रिकॉर्डर कैमरा मे लगा कर रिकॉर्डिंग शुरू की गई। पूर्व मे लगा हुआ मैमोरी कार्ड को मन् अतिंरिक्त पुलिस अधीक्षक ने लेपटॉप मे लगाकर देखा गया तो रिकॉर्डिंग मे समय सेट नही होकर प्रथम रिकॉर्डिंग संख्या 00000 का दिनांक 11/13/2024 एवं समय 03.28 एएम होना पाया जिससे यह स्पष्ट होता है कि विडियों रिकॉर्डर मे तकनीकी कमी के कारण समय सैट नही हुआ। संम्पूर्ण हाथ धोवन की कारवाई समय 10-05 पीएम पर सम्पादित हुई। इस कारवाई की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एव हाथ धोवन कार्यवाही पृथक से तैयार कर शामिल कारवाई की गई। इसी दौरान आरोपी श्री गणेश रावल प्रबन्धक संचालक उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज बोमादडा रोड पाली व सह आरोपी श्री विजय व्याख्याता/केशियर को स्पष्टीकरण देने हेतु कहा गया तो आरोपी श्री गणेश रावल प्रबन्धक संचालक द्वारा अपना स्पष्टीकरण पृथक से पेश किया गया जो शामिल कार्यवाही किया गया। सह आरोपी श्री विजय ने अपना स्पष्टीकरण पेश करने हेतु मना किया गया। सम्पूर्ण कारवाई के पश्चात् विडीयो रिकार्डिंग में से मेमोरी कार्ड निकाल कर विडीयो रिकार्डिंग से संबधित दोनो मेमोरी कार्ड की हेश वेल्यू निकाल कर पृथक से जरिये फर्द जब्त कर कब्जा एसीबी लिया जायेगा। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व लेन-देन वार्ता की रिकार्डिंग लेपटॉप के माध्यम से उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज के प्रिन्सीपल

श्री भूपेन्द्र को सुनाई गई तो इन दोनो रिकार्डिंग वार्ताओ में श्री गुणेश रावल कॉलेज मालिक व विजय केशियर/व्याख्याता की आवाज होना पहचान किया। सह आरोपी श्री विजय से रिश्वत राशि बरामदगी के दौरान ली गई जामा तलाशी में उसके कब्जे से 9,670 रूपये नगद व उसकी पेन्ट में लगा चमडे नुमा बेल्ट, तीन चांबीया, आधार कार्ड, दो एटीएम कार्ड मिले। नगद राशि के बारे में सह आरोपी श्री विजय ने उक्त राशि उसके घर खर्चे की होना बताया तथा सामान खरीदने के लिये घर से आना बताया। सह आरोपी द्वारा बताये तथ्य संतोषप्रद होने से सह आरोपी श्री विजय के कहेनुसार उपरोक्त समस्त सामग्री व नगद राशि तत्समय मौके पर ही उपस्थित कॉलेज व्याख्याता श्री लक्ष्मण सिंह को सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद पृथक से प्राप्त कर शामिल कारवाई की गई। कार्यवाही के दौरान मौका स्थल कॉलेज परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जाब्ता की आवश्यकता होने से पुलिस थाना सदर पाली से पुलिस जाब्ता बुलाया जाने पर पुलिस थाना सदर से दो पुलिस कानिस्टेबल बावर्दी मौके पर उपस्थित रहे जिनको कार्यवाही सम्पादित होने के पश्चात् जाये तैनाती रवाना किया गया। दौराने कार्यवाही मौका स्थल पर ही कॉलेज प्रिन्सीपल भूपेन्द्र द्वारा आरोपीयो के खाने की व्यवस्था की गई, जिस पर दोनो आरोपीयो को खाना खिलाया गया। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से एकत्रित साक्ष्यों के विश्लेषण से पाया गया कि परिवादी श्री महिपाल के बीएसटीसी प्रथम वर्ष की हाजरी पूरी करने एवंम परीक्षा फार्म जमा करने व नम्बर दिलवाने की ऐवज में आरोपी श्री गुणेश रावल प्रबन्धक संचालक उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज बोमादडा रोड पाली द्वारा रिश्वत राशि 10,000 रूपये की मांग करना तथा मांग सत्यापन के दौरान रिश्वत राशि सह आरोपी श्री विजय को देने का कहना जिसके अनुसरण में दौराने ट्रेप कार्यवाही सह आरोपी श्री विजय द्वारा रिश्वत राशि के दस हजार रूपये परिवादी श्री महिपाल से प्राप्त किये, जो सह आरोपी श्री विजय के कब्जे से बरामद होना पाया जाने से आरोपीयो का उक्त कृत्य जुर्म अंतर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से दोनो आरोपीयो को विधिक प्रावधानानुसार जरिये फर्द पृथक-पृथक गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मीमो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के तहत पृथक-पृथक तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। दोनो आरोपीगणो की गिरफ्तारी के दौरान ली गई जामा तलाशी से आरोपीयो के पास उनका स्वंय का मोबाईल मिला इसके अतिरिक्त कोई संदिग्ध राशि व दस्तावेज नही पाये गये। दोनो आरोपीयो के मोबाईल को आरोपीयो के कहे अनुसार कॉलेज प्रिन्सीपल श्री भूपेन्द्र को सुपुर्द किये जाकर मोबाईल सुपुर्दगी की रसीद पृथक से प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई। रात्रि का समय होने के कारण अब फर्द नक्शा मौका घटनास्थल कल दिनांक 14.11.2024 को तैयार करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् वक्त 11-05 पी0एम0 पर ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित मौके पर की जाने वाली कार्यवाही सम्पादित कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरा गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री गुणेश रावल प्रबन्धक संचालक उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज बोमादडा पाली एवं सह आरोपी श्री विजय व्याख्याता उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज बोमादडा पाली, परिवादी श्री महिपाल एवं ब्यूरो जाब्ता श्री गोविन्द वर्मा एएसआई, श्री लक्ष्मण दान एएसआई, श्री मोहन लाल हैड कानि, श्री भवानी सिह हैड कानि, श्री पुनाराम कानि, श्री कुलदीप सिंह कानि. श्रीमति कौशल्या महिला कानि0 व स्वंत्रत गवाह श्री आकिब जावेद, श्री मान सिंह एवं कार्यवाही से सम्बन्धित जब्त शुदा वजह सबुत मालखाना सिल्ड शुदा छः धोवन की शीशियां, रिश्वत राशि सिल्ड शुदा पैकेट, बरामदगी पेन्ट का पैकेट सिल्ड शुदा एवं कार्यवाही सम्बन्धि विडियो रिकार्डिंग के मैमोरी कार्ड व विडियो रिकार्डर, लेन-देन वार्ता रिकार्ड शुदा वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड एवं ट्रेप बाक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित हमरा ले गये आवश्यक सामग्री सहित निजी वाहनो एवं सरकारी वाहन सहित उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज से ब्यूरो कार्यालय पाली के लिए रवाना हुआ तथा कॉलेज भवन के कार्यालय कक्ष जिसमे ट्रेप कार्यवाही सम्पादित की जा रही थी उन कक्षो को यथा स्थिति ताला बन्द करने हेतु कॉलेज के प्रिंसीपल श्री भुपेन्द्र को सुरक्षित सम्भलाया जाकर समस्त ट्रेप दल के सदस्यो की जामा तलाशी भुपेन्द्र से लिवाई गयी। कुछ समय पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींव सिंह उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा उपरोक्त हमराहियान एवंम उपरोक्त फिगरा के मालखाना वजह सबूत सहित ब्यूरो कार्यालय पाली द्वितीय पहुंचा तथा जब्त शुदा मालखाना आईटम धोवन की छः शिशीया सिल्ड शुदा, रिश्वत राशि का पैकेट शिल्ड शुदा, रिश्वत राशि बरामदगी स्थल पेन्ट का सिल्ड शुदा पैकेट को मालखाना प्रभारी श्री मोहनलाल हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया जाकर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाया गया। विडीयो रिकार्डिंग के दोनो मेमोरी कार्ड की हेश वेल्यू निकाल कर पृथक से फर्द जब्ती तैयार कर शामिल कारवाई की जायेगी। मांग सत्यापन वार्ता व लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट भी पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की जायेगी। तत्पश्चात् विडीयो रिकार्डिंग के मेमोरी कार्ड व वार्ता के मेमोरी कार्ड को भी पृथक-पृथक जब्त कर जमा मालखाना करवाया जायेगा। तत्पश्चात् दिनांक 14.11.2024 वक्त 12.05 ए.एम. पर आरोपी श्री गुणेश रावल प्रबन्धक संचालक व सह आरोपी श्री विजय व्याख्याता/केशियर का स्वास्थ्य परीक्षण एवं ब्यूरो कार्यालय पर हवालात नही होने से दाखिल हवालात करवाने हेतु पृथक-पृथक तहरीर जारी कर ब्यूरो स्टॉफ श्री गोविन्द वर्मा एएसआई मय जाब्ता श्री कुलदीप सिंह कानि. व श्री सोहनलाल कानि. मय सरकारी बोलेरो मय आरोपी व सहआरोपी को स्वास्थ्य परीक्षण एवं जमा हवालात करवाने हेतु राजकीय बांगड चिकित्सालय पाली एवं पुलिस थाना सदर के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात् रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शेष होने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस के कब्जे में

सुरक्षित कार्यालय हाजा की अलमारी में रखा हुआ था जिसको निकाल कर परिवादी श्री महिपाल व स्वतंत्र गवाह श्री मानसिंह व श्री आकिब जावेद की उपस्थिति में कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से स्पीकर से सुन-सुन कर हुबहु शब्द-बशब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक से तैयार करवाना प्रारम्भ किया गया। ट्रांसक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता समय 04.40 ए.एम. तक सम्पादित हुई। आरोपी श्री गुणेश रावल व सह आरोपी श्री विजय की आवाज की पहचान परिवादी श्री महिपाल द्वारा की गई। फर्द मांग सत्यापन वार्ता की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से हेश वेल्यू निकालकर फर्द में अंकित की गई। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को तीन नये पेन ड्राईव में कॉपी किया तथा मूल मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में शिल्ड मोहर कर कपडे की थैली व फर्द पर संबधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। तीन कॉपी पेन ड्राईव को खुली हालत में रखा गया। उक्त वार्ता का शिल्ड शुदा मेमोरी कार्ड व तीन कॉपी पेन ड्राईव को सुरक्षा की दृष्टि से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे में रखा गया। फर्द ट्रासंक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार करने के दौरान ही वक्त 01.10 ए.एम. पर ब्यूरो स्टॉफ श्री गोविन्द वर्मा एएसआई मय हमरायान के आरोपीयो का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर पुलिस थाना सदर पाली के हवालात में सुरक्षा की दृष्टि से आरोपीयो को जमा करवाकर जमा रसीद प्राप्त कर चौकी हाजा हाजिर आये। तत्पश्चात् वक्त 04-55 ए.एम. पर दिनांक 13.11.2024 को हुई रिश्वती लेन-देन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त मेमोरी कार्ड मन् अतिरिक्त पुलिस के कब्जे में रखा हुआ है। उक्त मेमेरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रासक्रिप्ट वार्ता परिवादी श्री महिपाल व स्वतंत्र गवाह श्री मानसिंह व श्री आकिब जावेद की उपस्थिति में कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से स्पीकर से सुन सुन कर हुबहु शब्द बशब्द फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता श्री अवतार सिंह वरिष्ठ सहायक से तैयार करवाना प्रारम्भ किया गया। ट्रांसक्रिप्ट रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता समय 08.00 ए.एम. पर सम्पादित हुई। सह आरोपी श्री विजय की आवाज की पहचान परिवादी श्री महिपाल द्वारा की गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से हेश वेल्यू निकालकर फर्द में अंकित की गई। रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता को पूर्व में मांग सत्यापन वार्ता कॉपी किये गये तीनो पेन ड्राईव में लेपटॉप के माध्यम से कॉपी किया गया। मूल मेमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में शिल्ड मोहर कर कपडे की थैली व फर्द पर संबधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। तीनो कॉपी पेन ड्राईव को खुली हालत में रखा गया । रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का शिल्ड शुदा मेमोरी कार्ड पैकेट, रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता का शिल्ड शुदा मेमोरी कार्ड पैकेट व दोनो वार्ताओ के कॉपीशुदा तीन पेन ड्राईव खुली हालात मालखाना प्रभारी श्री मोहनलाल हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया जाकर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाया गया। तत्पश्चात् सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही की करवाई गई विडीयो रिकार्डिंग के दोनो मेमोरी कार्ड की हेश वेल्यू निकाल कर मेमोरी कार्ड की फर्द जब्ती पृथक से तैयार कर फर्द जब्ती में हेश वेल्यू का अंकन किया जाकर सबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कारवाई किया गया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमरायान स्वतंत्र गवाहन श्री मान सिंह व श्री आकिब जावेद एवं परिवादी श्री महिपाल के जरिये सरकारी वाहन ट्रेप कार्यवाही में घटनास्थल का निरीक्षण करने हेतु उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज बोमादडा रोड पाली के लिये रवाना हुआ। ताबाद फिगरा उपरोक्त का रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमरायान स्वतंत्र गवाहन श्री मान सिंह व श्री आकिब जावेद एवं परिवादी श्री महिपाल के जरिये सरकारी वाहन ट्रेप कार्यवाही में घटनास्थल का निरीक्षण करने हेतु उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज बोमादडा रोड पाली पहुंचा। परिवादी श्री महिपाल की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नजरी नक्शा मौका घटनास्थल एवं हालात मौका पृथक से तैयार किया जाकर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त अधीक्षक मय हमरायान के जरिये सरकारी बोलेरो के भ्रनिब्यूरो पाली द्वितीय के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान स्वतंत्र गवाहन श्री मान सिंह व श्री आकिब जावेद एवं परिवादी श्री महिपाल के जरिये सरकारी वाहन घटनास्थल का निरीक्षण करने हेतु उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज बोमादडा रोड पाली गया हुआ बाद घटनास्थल का निरीक्षण कर भ्रनिब्यूरो पाली द्वितीय पहुंचा। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री महिपाल के बीएसटीसी प्रथम वर्ष की हाजरी पूरी करने एवंम परीक्षा फार्म जमा करने व नम्बर दिलवाने की ऐवज में आरोपी श्री गुणेश रावल प्रबन्धक संचालक उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज बोमादडा रोड पाली द्वारा रिश्वत राशि 10,000 रूपये की मांग करना तथा मांग सत्यापन के दौरान रिश्वत राशि सह आरोपी श्री विजय को देने का कहना जिसके अनुसरण में दौराने ट्रेप कार्यवाही सह आरोपी श्री विजय द्वारा रिश्वत राशि के दस हजार रूपये परिवादी श्री महिपाल से प्राप्त किये, जो सह आरोपी श्री विजय के कब्जे से बरामद होना पाया जाने से आरोपीयो का उक्त कृत्य जुर्म अंतर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। इस प्रकार आरोपीगण श्री गुणेश रावल पुत्र श्री वरदा रावल उम्र 46 वर्ष जाति रावल निवासी ग्राम उतवण बोमादडा रोड पाली हाल प्रबन्धक संचालक उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज, उज्जवल विक्रम लॉ कॉलेज एवमं श्रीमति धापू बाई बीएसटीसी कॉलेज पाली व श्री विजय पुत्र श्री नटवरलाल जाति जोशी उम्र 40 वर्ष निवासी मकान नं0 24, पानी दरवाजा पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली हाल व्याख्याता (भाषा संज्ञान व समाज) उज्जवल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज बोमादडा रोड पाली का उक्त आपराधिक कृत्य अन्तर्गत 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशांधित 2018) एवं 61 (2)

भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत प्रथम दृष्ट्या दण्डनीय अपराध कारित करना पाया जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रतिवेदन वास्ते क्रमांकन श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अशा) की सेवामें सादर प्रेषित है। (खींवसिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय.......कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री खींवसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्र्तगत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशांधित 2018) एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता में आरोपीगण श्री गुणेश रावल पुत्र श्री वरदा रावल उम्र 46 वर्ष जाति रावल निवासी ग्राम उतवण बोमादडा रोड पाली हाल प्रबन्धक संचालक उज्वल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज, उज्वल विक्रम लॉ कॉलेज एवमं श्रीमति धापू बाई बीएसटीसी कॉलेज पाली व श्री विजय पुत्र श्री नटवरलाल जाति जोशी उम्र 40 वर्ष निवासी मकान नं0 24, पानी दरवाजा पाली पुलिस थाना कोतवाली पाली जिला पाली हाल व्याख्याता(भाषा संज्ञान व समाज) उज्वल विक्रम बीएसटीसी कॉलेज बोमादडा रोड पाली के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मांगी लाल राठौड,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 186 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1447-49 दिनांक 14-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-द्वितीय । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MANGI LAL RATHORE **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: [illegible]/2024 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	02/01/1977				
2	Male	25/12/1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)